राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 554 / 2025

दिनेश सैनी —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. सहायक खनिज अभियंता, टोंक।
4. रघुवीर सिंह, खनिकार्यादेशक द्वितीय, कार्यालय खनिज अभियंता, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिकार्यदेशक द्वितीय के पद पर कार्यालय सहायक खनिज अभियंता टोंक में कार्यरत हैं। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति खनिकार्यादेशक द्वितीय के पद पर अक्टूबर, 2013 में हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2013 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को खनिकार्यादेशक द्वितीय, खनिज अभियंता, रामगंज मण्डी, झालावाड़ से कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, टोंक में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 11.03.2024 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से खनिज अभियंता, सोजत सिटी में किया गया है तथा निजी

प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्वयं की इच्छा पर समंजित करते हुए स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश के विरूद्ध है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए मात्र 10 माह का ही समय हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक का अल्पावधि में स्थानान्तरण करना मनमाना एवं पक्षपातीपूर्ण माना है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा खनिज अभियंता सोजत सिटी में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण कनिष्ठ खनिज अभियंता कार्यालय में किया गया है या सहायक खनिज अभियंता कार्यालय अथवा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही सोजत सिटी राजस्थान के किस जिले में आती है, का उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 357/2025 पुष्पेन्द्र मीणा बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्मिक के कार्यालय का उल्लेख नहीं करते हुए खनिज अभियंता कार्यालय से कार्यरत मानते हुए स्थानान्तरण किया गया, जिसको अधिकरण ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित आदेश मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया है, का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अपीलार्थी के बच्चे भी टोंक में अध्ययनरत है। यदि आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो मध्य सत्र में अपीलार्थी के बच्चों का अध्ययन बाधित होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान खनिकार्यादेशक द्वितीय के पद पर कार्यालय सहायक खनिज अभिंयता, टोंक में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में खनिकार्यदेशक द्वितीय के पद पर कार्यालय सहायक

खनिज अभियंता टोंक में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से खनिज अभियंता सोजत सिटी में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438 का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य